बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग।

कार्यालय आदेश

संख्या – 3/स्था०(01) 10/2015 – / पटना – 15, दिनांक –

विभागीय आदेश संख्या–793, दिनांक–13.02.2026 द्वारा तीनों निदेशालयों के स्थापना एवं न्यायालय की संचिका विभाग के संबंधित वरीय पदाधिकारी (विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव) के माध्यम से अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को उपस्थापित किये जाने का निदेश दिया गया है परन्तु निदेशालयों द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं संचिका सीधे विभागीय सचिव को पृष्ठांकित करायी जा रही है। साथ ही पाया गया है कि निदेशालयों द्वारा स्थापना से संबंधित संचिका उपस्थापन के कई कार्य तकनीकी जानकार के पदाधिकारियों यथा पशु चिकित्सक सेवा, मत्स्य सेवा एवं गव्य विकास सेवा, द्वारा किया जा रहा है, जो उचित नहीं है।

अतएव निदेश दिया जाता है कि उक्त विभागीय आदेश के कंडिका 7 में अंकित निदेश का सख्ती से अनुपालन करते हुए निदेशालयों में स्थापना कार्य से संबंधित सभी संचिकाओं का उपस्थापन सचिवालय संवर्ग के बिहार सचिवालय सेवा/बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के हीं पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2. पूर्व में इस संबंध में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

3. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(01) 10/2015 – / पटना – 15, दिनांक –

प्रतिलिपि – निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से भी सभी संबंधितों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(01) 10/2015 – / पटना – 15, दिनांक –

प्रतिलिपि – सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।